संख्या:407/2016/1598/35-4-2016

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष ,
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक 09 दिसम्बर,2016

विषय: वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत पुनरीक्षित स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद रामपुर में शासनादेश संख्या:579/35-4-2013 दिनांक 31 मार्च, 2013 के द्वारा 02 कार्यो की रू. 14140.32 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 4000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। जिसमें से **मौ0 अली जौहर विश्व विद्यालय से एकता चौराहे तक फलाईओवर कार्य** की लागत रू. 12525.26 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 3000.00 लाख की धनराशि सम्मिलित थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या: 1317/35-4-2014 दिनॉक 28 अक्टूबर,2014 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू. 4000.00 लाख तदोपरान्त शासनादेश संख्या:306/2015/2311/35-4-2015 दिनॉक 04 नवम्बर,2015 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू. 3004.80 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई तथा शासनादेश संख्या:153/2016/653/35-4-2016 दिनॉक 25 अप्रैल,2016 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू. 1894.20 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई। एतदद्वारा उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च,2013 द्वारा स्वीकृत कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को लागत रू. 15710.23 लाख पर पुनरीक्षित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2013,28 अक्टूबर,2014,04 नवम्बर,2015 तथा 25 अप्रैल,2016 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
2- मात्राओं एवं विशिष्टियो को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
3- प्रायोजनान्तर्गत भूमि अध्यापि न्यूनतम आवश्यक्तानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।
4- लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, सेतु की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे। कार्य को पुनरीक्षित लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण गुणवत्ता एवं विशिष्टियों के साथ समय से पूरा किया जायेगा, भविष्य में पुनरीक्षित लागत पर विचार नहीं किया जायेगा।

6- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

7- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8- जिलाधिकारी द्वारा यथा संशोधित/ स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-1228/दस-2016 दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:407/2016/1598(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा , प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण।
4-प्रमुख सचिव, वित्त।
5-निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी ।
6-मण्डलायुक्त, मुरादाबाद।
7-जिलाधिकारी,रामपुर।
8-मुख्य विकास अधिकारी, रामपुर।
9-मुख्य कोषाधिकारी, रामपुर।
10-गार्ड फाईल।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, रामपुर।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in